अंतिम अपडेट 16.07.2026

मैनुअल-4

कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड
[धारा 4(1)(बी)(iv)] चित्रण

कुछ नॉर्म्स नीचे दिए गए हैं:

गतिविधि	समय सीमा / मानदंड	टिप्पणी
I) जांच		
1) FIR का रजिस्ट्रेशन। 2) गवाह की जांच। 3) जांच अधिकारी का घटनास्थल पर जाना। 4) सबूत इकट्ठा करना। 5) साइट प्लान तैयार करना। 6) आरोपी की गिरफ्तारी। 7) कन्फेशन की रिकॉर्डिंग। 8) पुलिस / न्यायिक हिरासत रिमांड प्राप्त करना। 9) खोजें. 10) दौरा पड़ना। 11) केस डायरी वगैरह तैयार करना। 12) चार्जशीट फाइल करना।	BNSS के अनुसार	

II) पीसीआर

ERSS-112, दिल्ली सिस्टम में पब्लिक की मदद के लिए 1090, 1091, 1096, 1291, 155270, और 155271 और दूसरी डायरेक्ट हेल्पलाइन के साथ 122 चैनल (ACD के बताए अनुसार 450 तक बढ़ाया जा सकता है) वाली 15 PRI लाइनें हैं। पब्लिक कॉल @112/100 पर रिसीव करने के लिए। PCR वैन के लिए एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आज तक लगभग 07:00 मिनट है और यह सड़क और ट्रैफिक की हालत पर भी निर्भर करता है।

III) सतर्कता

विजिलेंस ब्रांच को अलग-अलग अथॉरिटी और सीधे आम लोगों से शिकायतें मिलती हैं। CMTS, CPGRAMS, CVC, LG लिसनिंग पोस्ट और PGMS प्रोग्राम के काम करने के तरीके से, इनमें से ज़्यादातर शिकायतों को ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है। जो शिकायतें गंभीर होती हैं, उन्हें विजिलेंस ब्रांच विजिलेंस पूछताछ के ज़रिए देखती है।

क्रम संख्या	गतिविधि	निर्धारित समय - सीमा	टिप्पणी
1.	शिकायत मिली और डायरी	2 दिन	बहुत ज़्यादा शिकायतें मिलने और उन्हें मार्क करने में समय लगने के कारण।
2.	शिकायत यूनिक नंबर बनाने के लिए कंप्यूटर सेल में जाएगी।	एक दिन	-
3.	जवाब देने के लिए संबंधित हेड असिस्टेंट के पास जाएगी ।	एक ही दिन	-
4.	शिकायत जांच रिपोर्ट देने के लिए संबंधित EO के पास गई	एक ही दिन	-
5.	जांच EO द्वारा पूरी की जाएगी	समय-सीमा को तीन सप्ताह से बदलकर एक महीना करने की जरूरत है (स्थायी आदेश संख्या 293/2010 के पैरा 4 (v) का संदर्भ लें)।	
	इसके अलावा, CMTS को ICMS से बदल दिया गया है, जो 08.11.2020 से अस्तित्व में आया।		
6.	जांच रिपोर्ट सीनियर अधिकारी को सौंपी जाएगी।	एक ही दिन	-
7.	कार्रवाई करने के लिए पूछताछ वापस मिली	एक दिन	-
8.	. असिस्टेंट द्वारा की गई कार्रवाई	ऑर्डर के हिसाब से उसी दिन। 2-3 दिन में एक्शन हो सकता है। DE के मामले में एक हफ्ता और लगेगा।	
9.	आवेदक को जानकारी	4 सप्ताह बाद	

अंतिम अपडेट 16.07.2026

मैनुअल-4

कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड
[धारा 4(1)(बी)(iv)] चित्रण

IV) यातायात :-			
क्रम संख्या	**गतिविधि**	**कार्रवाई का स्तर**	**निर्धारित समय - सीमा**
1.	यातायात विनियमन	सभी ट्रैफ़िक अधिकारियों/कर्मियों और सिग्नल द्वारा	चौबीसों घंटे
2.	सूचना – फ्लो चार्ट नीचे दिया गया है:- I. Voca App (Violation on Camera App) से नियम तोड़ने की जानकारी कैप्चर करने के लिए ड्यूटी की खास जगह पर तैनात किया गया है। II. उल्लंघन की रिपोर्ट कैमरों के ज़रिए भी की जाती है। III. प्रहरी ऐप के ज़रिए जनता द्वारा ।	I. यातायात पुलिस II. आरएलवीडी शाखा	चौबीसों घंटे
3.	I. सभी वायलेशन ऑथेंटिकेशन के लिए अपने आप सर्वर पर भेजे जाते हैं। Voca के मामले में , वायलेशन को सर्कल स्टाफ चेक करता है और रिपोर्ट ऑफेंस नोटिस जेनरेशन के लिए सर्वर पर भेजे जाते हैं। II. कैमरे और पब्लिक के ज़रिए रिपोर्ट किए गए वायलेशन की RLVD ब्रांच द्वारा चेकिंग की जाती है।	I. सर्कल स्टाफ II. आरएलवीडी शाखा	चौबीसों घंटे
4.	Vahan Portal पर रिकॉर्ड के अनुसार , गाड़ी के रजिस्टर्ड मालिक को SMS या स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है।	I. कंप्यूटर शाखा II. सूचना शाखा	I. गैर-समझौता योग्य अपराधों के लिए 15 दिनों के भीतर II. समझौता योग्य अपराधों के लिए 30 दिनों के भीतर
5.	नोटिस मिलने पर नियम तोड़ने वाला कम्पाउंडिंग अमाउंट जमा कर सकता है I. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन। II. डीडी/ चेक द्वारा नोटिस ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली पर भेजें III. सर्किल में ई-चालान मशीन के ज़रिए	कंप्यूटर शाखा सूचना शाखा	2 से 3 दिन
6.	I. नॉन-कंपाउंडेबल नोटिस 15 दिनों के बाद कोर्ट को भेजे जाते हैं। II. कंपाउंडेबल नोटिस का पेमेंट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर 90 दिनों के अंदर किया जा सकता है। उसके बाद इसे कोर्ट भेजा जाता है।	NIC के माध्यम से स्वचालित रूप से	I. नॉन-कम्पाउंडेबल को 15 दिन बाद कोर्ट भेजा गया II. कंपाउंडेबल नोटिस 90 दिनों के बाद कोर्ट को भेजे जाते हैं
7.	शिकायत का समाधान उपलब्ध है। नियम तोड़ने वाला SMS/प्रिंटेड नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसे RLVD ब्रांच चेक करती है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है।	I. आरएलवीडी शाखा II. कंप्यूटर शाखा	15 दिनों के भीतर

अंतिम अपडेट 16.07.2026

मैनुअल-4

कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड
[धारा 4(1)(बी)(iv)] चित्रण

V) विशेष शाखा

दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच का (APP ब्रांच) पासपोर्ट वेरिफिकेशन सेक्शन ऑनलाइन मिले पासपोर्ट के वेरिफिकेशन का काम करता है। पासपोर्ट एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा से लिए जाते हैं। केंद्र (PSKs), रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (RPOs) और संबंधित एम्बेसी/कॉन्सुलेट को सीधे उन टैबलेट पर भेजा जाता है जो एप्लीकेंट के वेरिफिकेशन के लिए इंक्वायरी ऑफिसर (EO) को दिए गए हैं। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, इंक्वायरी ऑफिसर वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड करता है और उसे इंस्पेक्टर ज़ोन को भेजता है, उसके बाद इंस्पेक्टर ज़ोन सही वेरिफिकेशन के बाद उसे ज़ोनल ACP को भेजता है, जो DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन रिपोर्ट को अप्रूव करता है और रिपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, विदेश मंत्रालय या संबंधित अथॉरिटी को जमा करता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार, पासपोर्ट वेरिफिकेशन 21 दिनों के अंदर पूरा करके संबंधित RPO/अथॉरिटी को जमा करना होता है। हर दिन औसतन 2000-2500 पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन मिलते हैं।

APP ब्रांच "O" Pass (दूसरे देशों और दूसरे राज्यों से वेरिफिकेशन के लिए मिले पासपोर्ट एप्लीकेशन), NORI (भारत लौटने की कोई बाध्यता नहीं) और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, RTI और ई-मेल से मिली गोपनीय पूछताछ के वेरिफिकेशन का भी काम करती है। आवेदक इस ऑफिस की ई-मेल ID यानी dcp.sb1@delhipolice.gov.in पर अपना फीडबैक भेज सकते हैं। और dpapp.sb@delhipolice.gov.in पर ईमेल करें। वे लैंडलाइन नंबर यानी 011-23230577 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं।

VI) विभागीय जांच प्रकोष्ठ

दिल्ली पुलिस में एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेल नंबर 14014/41/85-UTP, तारीख 09/04/86 के हिसाब से भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने बनाया था। अभी यह 8 वीं मंज़िल, PS बाराखंभा रोड बिल्डिंग, नई दिल्ली में काम कर रहा है।

डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेल के काम इस तरह हैं:-

1. विजिलेंस जांच से होने वाली डिपार्टमेंटल जांच और ऐसी दूसरी डिपार्टमेंटल जांच, जिन्हें पुलिस कमिश्नर ज़रूरी समझें, का तेज़ी से निपटारा इस सेल की फंक्शनल ताकत और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतों के आधार पर समय-समय पर सेंट्रली किया जाएगा।

2. डिपार्टमेंटल पूछताछ से जुड़ी रिपोर्ट/रिटर्न।

3. दिल्ली पुलिस के स्टाफ के लिए समय-समय पर **"डिपार्टमेंटल पूछताछ कैसे करें"** पर ट्रेनिंग कोर्स चलाना ।

विभागीय पूछताछ के लिए प्राधिकरण

(A) दिल्ली पुलिस (पनिशमेंट एंड अपील) रूल्स-1980 के रूल 14.4 के अनुसार, सबऑर्डिनेट रैंक के अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन उस काबिल अथॉरिटी द्वारा शुरू किया जाना चाहिए जिसके डिसिप्लिनरी कंट्रोल में संबंधित पुलिस अधिकारी उस समय तैनात हो जब डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू करने का फैसला किया गया हो।

(B) ज़िले/यूनिट, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पहले से मंज़ूरी के बिना डिपार्टमेंटल पूछताछ सीधे DE सेल को नहीं भेज सकते। इसे देखते हुए, ज़िला/यूनिट DCsP उन DEs के बारे में सही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जिन्हें DE सेल में ट्रांसफर करने की ज़रूरत है, और इसके लिए वे संबंधित एडिशनल CP/जॉइंट CP/ स्पेशल CP/दिल्ली के ज़रिए भेज सकते हैं। हालांकि यह तय करना मुश्किल है कि DEs को DE सेल में किस आधार पर ट्रांसफर किया जाना है, लेकिन यह ज़्यादा से ज़्यादा संबंधित अधिकारियों के फैसले पर छोड़ देना चाहिए। सुपरवाइजरी अधिकारियों को शुरू किए गए DEs पर करीब से नज़र रखने की ज़रूरत है और सही मामलों में वे खुद भी DE की कार्रवाई को ट्रांसफर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

समय सीमा/मानदंड:-

Vig & Pub. TPT/11/2022 के अनुसार , अगर हो सके तो, जांच अधिकारी दोषी पर आरोपों की समरी देने की तारीख से छह महीने के अंदर डिपार्टमेंटल जांच पूरी करने की कोशिश करेगा। दिल्ली पुलिस (सज़ा और अपील) नियम, 1980, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के सभी अधिकारियों और सबऑर्डिनेट रैंक के लोगों पर लागू होते हैं।

VII) ईओडब्ल्यू

क्रम संख्या	गतिविधि	निर्धारित समय - सीमा	टिप्पणी
1.	ऑनलाइन, पोस्ट और हाथ से मिली शिकायतें डायरी में लिखी गईं	1-5 दिन	बहुत ज़्यादा शिकायतें मिलने की वजह से उन्हें डायरी में लिखने में समय लग सकता है।
2.	यूनिक नंबर के लिए कंप्लेंट ब्रांच को भेजी गई शिकायतें	1-5 दिन	बहुत ज़्यादा शिकायतें मिलने की वजह से यूनिक को जवाब देने में समय लग सकता है।

अंतिम अपडेट 16.07.2026

मैनुअल-4

कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड
[धारा 4(1)(बी)(iv)] चित्रण

3.	सीनियर अधिकारियों की शिकायतों को देखने के बाद, उन्हें DCsP /EOW के सामने उनके अंडर काम करने वाले संबंधित सेक्शन को मार्क करने के लिए भेजा जाता है।	1-5 दिन	बहुत ज़्यादा शिकायतें मिलने की वजह से उन्हें मार्क करने में समय लग सकता है।
4.	सेक्शन (ACP) में मार्क की गई शिकायतें	एक ही दिन	किसी खास वजह से समय लग सकता है
5.	पूछताछ का समय	ललिता केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	क्योंकि शिकायतें बहुत ज़्यादा होती हैं और उनमें कई लोग शामिल होते हैं, इसलिए हर जुड़े हुए/संबंधित अधिकारी/व्यक्ति से संपर्क करने में काफ़ी समय लग सकता है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती है।
6.	आवेदक को की गई कार्रवाई की जानकारी	जांच पूरी होने पर	जांच पूरी होने के तुरंत बाद। हालांकि, शिकायत करने वाले अपनी शिकायतों में हुई प्रोग्रेस जानने के लिए वर्किंग डेज़/घंटों में संबंधित IO से संपर्क कर सकते हैं।

VIII) डीपीए

एस. नं.	**गतिविधियाँ**	**समय सीमा/मानदंड**	**टिप्पणी**
1.	फाउंडेशन ट्रेनिंग (संभावनाएं)	01 वर्ष	
2.	दिल्ली न्यायिक की कुर्की	02 सप्ताह	
3.	गजटेड) के असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर के ड्रिल और एटिकेट पर ट्रेनिंग	03 सप्ताह	
4.	बेसिक ट्रेनिंग ऑफ़ इंस्प . / SI कंप्यूटर	04 महीने	
5.	बेसिक ट्रेनिंग (DP)	01 वर्ष	
6.	बेसिक ट्रेनिंग (दूसरे राज्य और UT)	11 महीने	
7.	एएसआई स्टेनो का बेसिक ट्रेनिंग	04 महीने	
8.	बेसिक ट्रेनिंग ऑफ APSIs (चंडीगढ़)	11 महीने	
9.	बेसिक ट्रेनिंग (न्यूनतम)	04 महीने	
10.	ड्रिल प्रशिक्षक पाठ्यक्रम	09 महीने	
11.	तिहाड़ जेल मैट्रन का बेसिक ट्रेनिंग	04 महीने	
12.	रिक्रूट कांस्टेबलों का बेसिक ट्रेनिंग	09 + 01 महीने	
13.	बेसिक ट्रेनिंग (दूसरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश)	09 + 01 महीने	
14.	सब इंस्पेक्टर का प्रमोशनल कोर्स	04 सप्ताह	
15.	असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का प्रमोशनल कोर्स	06 सप्ताह	